

**प्राथमिक उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)**

वाद प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
	212 RTA	आगापुरा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
केशव वर्मा	बनाम	जवनीत नाग	

फील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

13.12.22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध कजर्मी गण के नामाने से इस आशय का पत्र लिखा गया कि उक्त आगापुरा नह बारां के ख. नं. 167 रकबा 0.49 हे. ख. नं. 173 रकबा 0.15 हे. ख. नं. 522 रकबा 0.04 हे. कुल क्षेत्र 3 रकबा 0.68 हे. स्थित है उक्त जवनीत आराजीपान के ले ख. नं. 167 रकबा 0.49 हे. ही वाद की विषय वस्तु है। विवादित आराजी राउल्ट रिकार्ड में जर्मीगण की खातिर ही दर्ज है कि पट जर्मीगण मीने पट काबिल होकर विवादित आराजी का उद्देश्य उद्देश्य करते पले आ रहे है विवादित आराजी के प्रती लिखा है ख. नं. 166 रकबा 0.63 हे. परमाणु प्रति स्थित है कि पट उक्त आगापुरा के वाशिन्दे द्वारा मकान व बाड़े बनाने हुए है एवं बाहरी आदिवाली को रोकने वाले प्रार्थीगण ने ख. नं. 166 के लगव कपती विवादित - आराजी पट कोट बाउण्ड्री कलने से पटपट उलका रहे है। वादी गण की विवादित आराजी ख. नं. 167 रकबा के प्रती दाखिली कोटे पट ख. नं. 166 में कजर्मी कट। ने आदिवाली कट मकान बनाया उक्त है जिसका मुख्य रास्ता ख. नं. 350 मुख्य रोड बारां-आलावास रोड पट होकर है पट कजर्मी कट। जगजुझक प्रार्थीगण को पेशाब कले की विषय है प्रार्थी गण की शर्त के होकर विवादित हुए नका रास्ता काट लजर्मी कजर्मी पट आगापुरा है। प्रार्थी गण बारां कजर्मी को पाकड कले का विवेक किया है।

वकील प्रार्थी को हुका गया। प्रमाणित एवं रिकार्ड का उपलोकन किया गया। कजर्मी गण को जग - कस्पायी विषय आशा पाकड किया जाय है कि विवादित - आराजी बने उक्त आगापुरा नह बारां के ख. नं. 167 रकबा 0.49 हे. ने होकर किसी प्रकार का रास्ता आराजी डिपेंड 19.1.23 तक कायम नहीं करे। उकरप दर्ज रजि किया जावे। कजर्मी गण को जगें अतः कायम रखे कि पा गाकट प्रमाणित डिपेंड 19.1.2023 को पेश हो।

**उपखण्ड अधिकारी**  
बारां

17-3-25

उपखण्ड अधिकारी  
ने अपने ने पूर्वक दिनांक 12-5-25 को प्रस्तुत है।

*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी

पद  
उपखण्ड अधिकारी

12-5-25 पत्रावली पेडा है। वनील प्रार्थी उपर।  
अप्रार्थी की तस्वीर है। तस्वीर पेडा है।  
इं अग्रिम अग्रिम दिया जा चुका है।  
अग्रिम अग्रिम दिया जाकर पत्रावली वापस  
तस्वीर दिनांक 20-6-25 को पेडा है।

20-6-25 पत्रावली पेडा है। वनील प्रार्थी उपर।  
अप्रार्थी गलत की तस्वीर है। तस्वीर  
पेडा है। प्रार्थी अग्रिम अग्रिम दिया  
जा चुका है। अग्रिम अग्रिम  
दिया जाकर पत्रावली वापस तस्वीर दिनांक  
8-8-25 को पेडा है।

8-8-25 पत्रावली पेडा है। वनील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपर  
गई। वनील प्रार्थी एवं अप्रार्थी को हीन जा  
आवाज लगे। कावसूद प्रचन।  
वनील प्रार्थी एवं अप्रार्थी न्यायालय में उपर  
गई। अह, प्रार्थी का अग्रिम अग्रिम हाजमी  
अदम पैरवी के तारीख लिखा जाकर पत्रावली  
फाइल नुमाद है। बाद तस्वीर तस्वीर  
के तारीख दफ्त है।

उपखण्ड अधिकारी  
वारं